न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी :– गंगाधर मीणा (R.A.S.)

दावा सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
86 / 2021	08.04.2021	31.12.21

उनवान

1. दयाराम पुत्र श्योदान जाति जाट निवासी कोटकासिम
2. रामनिवास पुत्र श्योदान जाति जाट निवासी कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।

–: वादीगण

बनाम

1. मोमसिंह उर्फ ओमसिंह पुत्र परसाराम जाति जाट निवासी कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।
2. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार महोदय लैण्ड होल्डर कोटकासिम जिला अलवर राज0।

–: प्रतिवादी

दावा :– अर्न्तगत धारा 88 एवं 89 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

–: निर्णय :–

दिनांक :– 31.12.21

उपस्थिति :–

1– श्री शीतल प्रसाद, वकील वादीगण

2– श्री रामफल यादव, वकील प्रतिवादी सं0 01

आज यह पत्रावली प्रशासन गाव के संग अभियान–2021 के शिविर कोटकासिम मे पेश हुई। आराजी खसरा नम्बर 764 रकबा 0.4173 (01 बीघा 13 बिस्वा) वाके ग्राम कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 में स्थित है जो आराजी आगे वाद में विवादित आराजी कहलावेगी। उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 764 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम कोटकासिम के 7/8 हिस्सा के काबिज खातेदार काश्तकार अतरसिंह, रूपचन्द, प्रकाश पुत्रान रामनारायण व ओमसिह पुत्र परसाराम जाति जाट निवासी कोटकासिम थे जिन्होने विवादित आराजी खसरा नम्बर 764 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा में से अपना 7/8 हिस्सा सालिम वाके ग्राम कोटकासिम का बेचान हम वादीगण दयानन्द, रामनिवास पुत्रान सोदान जाति जाट निवासी कोटकासिम को सम्भाग यानि 1/2–1/2 हिस्सा का बेचान दिनांक 11.06.99 को प्रतिफल प्राप्त करके हम वादीगण को कर दिया वो विक्रेतागण उपरोक्त ने दिनांक 17.06.99 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 68 पुस्तक संख्या 59 क्रम [illegible] कोटकासिम के यहाँ पंजीयद्ध कर दिया। वो विक्रेतागण उपरोक्त ने हम वादीगण [illegible] आराजी खसरा नम्बर 764 रकबा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena

Date: 2022.05.07 11:08:39 IST

Reason: SelfAttested

01 बीघा 13 बिस्वा के 7/8 हिस्सा सालिम वाके ग्राम कोटकासिम पर कब्जा दे दिया था। उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 764 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम कोटकासिम के 1/8 हिस्सा का काबिज खातेदार काश्तकार सुभाष पुत्र रामनारायण जाति जाट निवासी कोटकासिम था जिसने विवादित आराजी खसरा नम्बर 764 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा में से अपना 1/8 हिस्सा सालिम वाके ग्राम कोटकासिम का बेचान हम वादीगण दयानन्द, रामनिवास पुत्रान सोदान जाति जाट निवासी कोटकासिम को सम्भाग यानि 1/2–1/2 हिस्सा का बेचान दिनांक 07.07.99 को प्रतिफल प्राप्त करके हम वादीगण को कर दिया वो विक्रेतागण उपरोक्त ने दिनांक 08.07.99 को पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 68 प्रष्ठ संख्या 261–262 क्रम संख्या 656 उप पंजियक कोटकासिम के यहॉ पंजीबद्व कर दिया। वो विक्रेतागण उपरोक्त ने हम वादीगण को उक्त आराजी खसरा नम्बर 764 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा के 1/8 हिस्सा सालिम वाके ग्राम कोटकासिम पर कब्जा दे दिया था। विवादित आराजी खसरा नम्बर 764 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा का 18 हिस्सा सालिम हम वादीगण ने विक्रेता सुभाष पुत्र रामनारायण से जरिये बयनामा तहरीर दिनांक 07.07.99 पंजीयन दिनांक 08.07.99 के द्वारा वो विवादित आराजी खसरा नम्बर 764 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा का 7/8 हिस्सा सालिम जरिये बयनामा तहरीर दिनांक 11.06.99 पजीयन दिनांक 17.06.99 के द्वारा हम वादीगण ने समभाग खरीद किया है इस प्रकार विवादित आराजी खसरा नम्बर 764 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा यानि 7/8 + 1/8 = 8/8 यानि कुल रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम कोटकासिम खरीद कर लिया वो इस प्रकार उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 764 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा के 1/2 भाग का वादि संख्या 1 दयानन्द वो 1/2 भाग का वादी संख्या 2 रामनिवास काबिज खातेदार काश्तकार हो गये वो वक्त खरीद से विवादित आराजी खसरा नम्बर 764 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा पर हम वादीगण काबिज वो खातेदार काश्तकार है। व वक्त खरीद से उक्त विवादित आराजी पर हम वादीगण फसल बोते वो दरो करते आ रहे है उपयोग उपभाग करते आ रहे है। प्रतिवादी का अधिनस्थ कर्मचारी पटवारी हल्का ने उक्त विवादित आराजी का इन्काल उक्त दोनो बयनामो के अनुसार हम वादीगण के नाम समभाग किया जाना चहिये परन्तु उसने प्रतिवादी संख्या 01 के नाम गलत इन्द्राज किया हुआ है जो राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी सम्वत 2075 लगायत 2078 वो इसके बाद की जमाबन्दीयों में विवादित आराजी के वादी संख्या 01 दयानन्द का 1/2 हिस्सा वो वादी संख्या 2 रामनिवास का 1/2 हिस्सा का अमल करना चाहिये थे। जो गलत इन्द्राज रहने से हम वादीगण को नुक्सान नाकाबिले तलाफी को रहा है। जो गलत इन्द्रात हकूक वादीगण के विरूद्ध बातिल वो बेअसर है नाकाबिल पाबन्दी है हफज किया जाकर उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 764 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा के वादीगण समभाग खातेदार काश्तकार खातेदार है वो इसी प्रकार अमल दरामद किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 अपना सम्पूर्ण हिस्सा हम वादीगण को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा बेचान कर चुका है। उसका विवादित आराजी से कोई सम्बध वो सरोकार नही है।

वादीगण के द्वारा यह अनुतोष चाहा गया है कि आराजी खसरा नम्बर 764 रकबा 0.4173 (01 बीघा 13 बिस्वा) वाके ग्राम कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 के 1/2 भाग के वादी संख्या 01 दयानन्द को वो 1/2 भाग का रामनिवास को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वो राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर ... तलबी प्रतिवादी ईकबाल जवाब पेश किया गया। प्रशासन गांव के संग अभियान के शिविर कोटकासिम में वादीगण व प्रतिवादी ने राजीनामा पेश किया गया। राजीनामा के अनुसार प्रतिवादी सं0 1 भोम सिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 11:08:39 IST
Reason: SelfAttested

उर्फ ओमसिंह पुत्र परसाराम जाति जाट ग्राम कोटकासिम ने आराजी खसरा नम्बर 764/0.4173 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम कोटकासिम में मेरा 1/16 हिस्सा खातेदारी कब्जा काश्त का था। जिसका बेचान में बराबर बराबर भाग में जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांकित 17.06.99 के वादीगण दयानन्द, रामनिवास को कर दिया था। और बाद बेचान ही प्रतिवादी सं01 ने वादीगणों को 1/16 भाग कर कब्जा संभला दिया था और आज तक बदस्तुर ही प्रतिवादी स0 1 के 1/16 भाग पर वादीगण ही काबिज काश्त है। रिकोर्डस में प्रतिवादी स0 के नाम कलमजन किया जाता है तो प्रतिवादी स0 1 को कोई आपत्ती नही है और प्रतिवादी सं0 1 के 1/16 भाग की आराजी को वादीगण के नाम संभाग मे कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

वादी ने अपने वादपत्र की ताईद में नोटेरी प्रमाणित बयनामा पजीकृत दिनांक 17.06.99, नोटेरी प्रमाणित बयनामा पंजीकृत दिनांक 08.07.99 एवं जमाबन्दी सम्वत 2075–78 पेश किये है जो शामिल मिसल है।

वकील वादी की बहस सुनी गई । दौराने बहस वकील वादी ने वादपत्र के तथ्यों को दौहराते हुये विवादित आराजी उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड होने का निवेदन करते हुये वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर कागजात माल में अमल दरामद करने का निवेदन किया है।

वकील वादी की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किये जाने पर वादीगण को यह आराजीयात खरीदशुद्वा होने के की स्थिति वादीगण के वाद का यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

–:: आदेश ::–

अतः वाद वादी बहक वादीगण बरखिलाफ प्रतिवादी डिक्री किया जाता है एवं आराजी खसरा नम्बर 764 रकबा 0.4173 (01 बीघा 13 बिस्वा) वाके ग्राम कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 के 1/2 भाग के वादी संख्या 01 दयानन्द को व 1/2 भाग के वादी संख्या 02 रामनिवास को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है उक्त खसरा नम्बर में अंकन प्रतिवादी सं0 1 के नाम को हजफ उपरोक्तानुसार हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(गंगाधर मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर) राज0

यह निर्णय आज दिनांक 31.12.21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 11:08:39 IST
Reason: SelfAttested

(गंगाधर मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर) राज0